INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

IN-UP87061330319592W

Certificate No.	:	IN-UP87061330319592W
Certificate Issued Date	:	18-Sep-2024 11:00 AM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14131904/ AKBARPUR SADAR/ UP-AMB
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14131904709119282024 07W
Purchased by	:	RAM SINGH ADVOCATE AKBARPUR
Description of Document	:	Article 24 Copy or Extract
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	RAM SINGH ADVOCATE AKBARPUR
Second Party	:	Not Applicable
Stamp Duty Paid By	:	RAM SINGH ADVOCATE AKBARPUR
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	10 (Ten only)

Please write or type below this line

नकल नम्बर २२17/24 के साथ विलेख संख्या 6८२1/2024 की छायाप्रति संलग्न है

उपनिबंधक
अकबरपुर
अम्बेडकरनगर
18-9-2024

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

8323

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

IN-UP85925868792325W

e-Stamp

Certificate No.	:	IN-UP85925868792325W
Certificate Issued Date	:	17-Sep-2024 12:26 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14131904/ AKBARPUR SADAR/ UP-AMB
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14131904685662133 67448W
Purchased by	:	S P S E AND CHARITABLE TRUST THROUGH ARUNESH YADAV
Description of Document	:	Article 35 Lease
Property Description	:	PLOT NO-207KA, 449, 447 MAUJA-BANGAON TEHSIL-AKBARPUR DISTT -AMBEDKAR NAGAR
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	BABURAM SO RAMSATI AND OTHERS
Second Party	:	S P S E AND CHARITABLE TRUST THROUGH ARUNESH YADAV
Stamp Duty Paid By	:	S P S E AND CHARITABLE TRUST THROUGH ARUNESH YADAV
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	3,000 (Three Thousand only)

Please write or type below this line

बाबूराम

नि० अब्बेशीराम

बाबूराम

नि० अब्बेशीराम

पढ़ने वाला.........

सुनने वाला.........

उप निबन्धक.........

QE 0001180552

पट्टा विलेख (लीज–डीड) 29 वर्ष 11 माह 26 दिन मासिक किराया मु0–2,000/–रूपया औसत वार्षिक किराया मु0–24,000/–रूपया ई–स्टाम्प कीमती मु0–3,000/–रूपया ई–स्टाम्प प्रमाण–पत्र सं0–IN-UP85925868792325W सहित पन्ना–2 से 6 तक संलग्न है

हम कि बाबूराम पुत्र रामसती निवासी ग्राम–बनगांव, पोस्ट–बनगांव डिहवा, परगना व तहसील–अकबरपुर, जिला अम्बेडकरनगर, मो0नं0 7880655093, आधार सं0 XXXX XXXX 1640, पैन–AAUPY1254E व बंशीराम पुत्र रामसंती निवासी ग्राम–बनगांव, पोस्ट–बनगांव डिहवा, परगना व तहसील–अकबरपुर, जिला अम्बेडकरनगर, मो0नं0 9918338791, आधार सं0 XXXX XXXX 8655, पैन–AVEPY6947M व अरूणेश यादव पुत्र बंशीराम

नि0 अ0 बंशीराम

नि0 अ0 बंशीराम

पढ़ने वाला.........

सुनने वाला.........

यादव निवासी ग्राम–बनगांव, पोस्ट–बनगांव डिहवा, परगना व तहसील–अकबरपुर, जिला अम्बेडकरनगर, मो0नं0 9918338791, आधार सं0 XXXX XXXX 7578, पैन–APBPY4505Q प्रथम पक्ष व सती प्रसाद स्मारक एजूकेशनल एण्ड चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा सेटलर/अध्यक्ष अरूणेश यादव पुत्र बंशीराम यादव निवासी ग्राम–बनगांव, पोस्ट–बनगांव डिहवा, परगना व तहसील–अकबरपुर, जिला अम्बेडकरनगर द्वारा संचालित सती प्रसाद स्मारक चिल्ड्रेन एकेडमी द्वारा प्रबन्धक अरूणेश यादव पुत्र बंशीराम यादव निवासी ग्राम–बनगांव, पोस्ट–बनगांव डिहवा, परगना व तहसील–अकबरपुर, जिला अम्बेडकरनगर, मो0नं0 9918338791, आधार सं0 XXXX XXXX 7578, पैन–APBPY4505Q द्वितीय पक्ष हैं विदित हो कि प्रथम पक्ष अपना प्लाट सं0–207क व 449 व 447 में से रकबा 8000 वर्गमीटर जिसमें 20 फिट × 25 फिट बराबर 500 वर्गफिट यानी 46.47 वर्गमीटर के सोलह कमरे निर्मित हैं तथा 15 फिट × 12 फिट बराबर 180 वर्गफिट यानी 16.73 वर्गमीटर में ऑफिस निर्मित है तथा 20 फिट × 50 फिट बराबर 1000 वर्गफिट यानी 92.94 वर्गमीटर के तीन हाल निर्मित हैं इस प्रकार कुल 1039.07 वर्गमीटर में निर्माण है तथा शेष 6960.93 वर्गमीटर भूमि वृक्षारोपण एवं खेल–कूद मैदान हेतु खाली है जिनकी चौहद्दी (सभी गाटा नम्बरान आपस में सटे हैं जिनकी चौहद्दी एक है) पूरब–शेष

बाबूराम नि० अ०बंशीराम

बाबूराम नि० अ०बंशीराम

पढ़ने वाला.........
सुनने वाला.........
उप निबन्धक.........

रकबा प्रथम पक्ष व सहखातेदार, पश्चिम—सम्पर्क मार्ग गौहनिया मार्ग से भरतपुर गिरन्ट, उत्तर—शेष रकबा प्रथम पक्ष व सहखातेदार, दक्षिण—शेष रकबा प्रथम पक्ष व सहखातेदार स्थित **ग्राम—बनगांव,** परगना व तहसील—अकबरपुर, जिला—अम्बेडकरनगर है जो हर प्रकार से पाक एवं साफ है जो पूर्णतया अकृषिक है एवं अकृषिक प्रयोजन में प्रयुक्त हो रहा है चूँकि द्वितीय पक्ष को स्कूल संचालन हेतु उक्त आराजी की नितान्त आवश्यकता है। इसलिए अपनी गरज का जिक्र द्वितीय पक्ष ने प्रथम पक्ष से किया और प्रथम पक्ष अपनी उक्त वर्णित सम्पत्ति, को द्वितीय पक्ष को 29 वर्ष 11 माह 26 दिन के लिए किराये पर देने को तैयार हो गया। धारा 1—यह कि प्रथम पक्ष की उक्त आराजी स्कूल संचालन हेतु जिसका मासिक किराया मु0—2,000/—रूपया है जिसका औसत वार्षिक किराया मु0—24,000/—रूपया का 6 गुना मु0—1,44,000/—रूपया पर लीज की सम्पत्ति नगर पालिका बाहर होने के कारण ई—स्टाम्प शुल्क 2 प्रतिशत की दर से मु0—3,000/—रूपये का अदा किया जा रहा है। धारा 2—यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा तय शुदा किराया प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में अंग्रेजी तिथि के अनुसार नियमित रूप से अदा किया जाएगा। धारा 3—यह कि यह किरायानामा दिनांक—17.09.2024 से 12.09.2054 तक (29 वर्ष 11 माह 26 दिन)

नि० अ० बंशीराम

नि० अ० बंशीराम

पढ़ने वाला............
सुनने वाला............
उप निबन्धक............

तक प्रभावी रहेगा। धारा 4—यह कि मियाद 29 वर्ष 11 माह 26 दिन बीतने के बाद उभय पक्ष द्वारा आपसी सहमति से किरायानामें की अवधि को आगे बढ़ाया जा सकता है। धारा 5—यह कि किरायाशुदा आराजी को उभय पक्षकार किरायनामें की अवधि तक न तो विक्रय कर सकते हैं और न ही बन्धक व करार आदि करके कोई ऋण प्राप्त कर सकते हैं। धारा 6—यह कि किरायाशुदा सम्पत्ति का रख—रखाव, साफ—सफाई द्वितीय पक्ष समय—समय पर करता रहेगा। धारा 7—यह कि लीज अवधि के बीच में उभय पक्षकार में से किसी की मृत्यु हो जायेगी तो उक्त वर्णित सभी शर्तें उनके उत्तराधिकारियों पर भी लागू होंगी। धारा 8—यह कि उपरोक्त वर्णित शर्तानुसार किराया अदा न करने की स्थिति में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि द्वितीय पक्ष को तीन माह पूर्व नोटिस देकर लीजशुदा आराजी को खाली करा लेवे। धारा 9—यह कि उभय पक्ष अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के नहीं हैं एवं भारतीय नागरिक हैं। धारा 10—यह कि उक्त वर्णित शर्तों का अनुपालन उभय पक्ष करते रहेंगे। यदि कोई पक्ष उक्त शर्तों का उल्लंघन करता है तो ऐसी स्थिति में पीड़ित पक्ष को यह अधिकार होगा कि न्यायहित में सक्षम न्यायालय में न्याय की याचना कर सकता है, जिसके सम्पूर्ण हर्जे—खर्चे की जिम्मेदारी दोषी पक्ष की

नि० अ० वंशीराम

नि० अ० वंशीराम

पढ़ने वाला.................
सुनने वाला.................
उप निबन्धक.................

होगी। अतएव पक्षकारों ने स्वयं स्वेच्छा पूर्वक बिना किसी दबाव के स्वस्थ मन व प्रसन्नचित मन से यह लेखपत्र किरायानामा लिपिबद्ध करवा दिया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे इति दिनांक–17 सितम्बर 2024 ई0, टाइपकर्ता–राजू गौड़ व ड्राफ्टकर्ता–राम सिंह एडवोकेट, अकबरपुर, अम्बेडकरनगर।

17.09.2024

Ram Singh Advocate
Reg. No.-4790/1987
Akbarpur-Ambedkar Nagar

नि० अ० बंशीराम

नि० अ० बंशीराम

गवाह–1
राजितराम
पुत्र दयाराम
नि0–बनगांव
अकबरपुर, अम्बेडकरनगर
मो0नं0–8052555126
आधार नं0–XXXX XXXX 8333

गवाह–2
सूर्यदेव
पुत्र भगवत प्रसाद
नि0–मरथुआ सरैया
अकबरपुर, अम्बेडकरनगर
मो0नं0–9198301419
आधार नं0–XXXX XXXX 7581

पढ़ने वाला..................
सुनने वाला..................